

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाईड लाईन/75059/2010-11
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

जयपुर, दिनांक : 11 0 APR 2017

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जॉब कार्ड सत्यापन के संबंध में।
संदर्भ :- विभागीय पत्रांक दिनांक 25.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नरेगा सॉफ्ट पर इन्द्राज समस्त जॉबकार्ड, जिनका विस्तृत विवरण ग्राम पंचायत स्तर की रिपोर्ट में "जॉबकार्ड सत्यापन (Job card verification)" के नाम से उपलब्ध है, के अनुरूप सत्यापन का कार्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में अभियान के रूप में किया जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि इस अभियान में ग्राम पंचायत पर कार्यरत ग्रामसेवक, कनिष्ठ लिपिक, रोजगार सहायक द्वारा घर-घर जाकर जॉबकार्ड में वर्णित विवरण की समस्त जानकारी प्राप्त कर इसे पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत एम.आई.एस. मैनेजर द्वारा नरेगा सॉफ्ट में अपडेट कराया जावे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के श्रम बजट 2017-18 के अनुमोदन के दौरान जॉबकार्ड सत्यापन के कार्य पर ध्यान आकृष्ट करते हुए योजनान्तर्गत जारी समस्त जॉबकार्ड के सत्यापन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने के निर्देश देते हुए दिनांक 30.04.2017 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। जिलेवार लक्ष्य की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आपके स्तर पर योजना की वैबसाइट पर राज्य के पेज पर उपलब्ध "Verification of Jobcards" रिपोर्ट से सघन मॉनिटरिंग करते हुये निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. जॉबकार्डधारी परिवारों के सर्वे की कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.04.2017 तक के लक्ष्यों के अनुरूप जॉबकार्ड सत्यापन का कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण किया जावे।
2. नियत तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं करने पर संबन्धित विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा तथा ग्राम पंचायत कार्मिकों के विरुद्ध महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 25 के तहत कार्यवाही की जावे तथा राज्य सरकार को इस बाबत अवगत कराया जावे।
3. सरपंच/ग्राम सेवक/ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक/मेट आदि के पास श्रमिकों के जॉबकार्ड इकट्ठा रखना अवैध कृत्य है अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि जॉबकार्ड सदैव श्रमिक के पास ही रहे।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
राजीव सिंह ठाकुर
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. आयुक्त, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
7. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत समिति समस्त।

परि. निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Report on Verification of Job Cards

S No.	Districts	No. of Job Cards Issued	No. of Job Cards Verified	Target to be verified up to 30 April, 2017
1	AJMER	408444	377610	30834
2	ALWAR	314167	283198	30969
3	BANSWARA	343983	242384	67201
4	BARAN	206785	160004	26103
5	BARMER	506280	418048	37604
6	BHARATPUR	335873	282124	20162
7	BHILWARA	488428	346657	92928
8	BIKANER	299392	242475	26978
9	BUNDI	185529	162253	4723
10	CHITTORGARH	246605	220890	1055
11	CHURU	283363	240899	14128
12	DAUSA	256893	179446	51758
13	DHOLPUR	165524	142927	6045
14	DUNGARPUR	308683	275655	2160
15	HANUMANGARH	257953	249128	8825
16	JAIPUR	441333	412067	29266
17	JAISALMER	120051	92377	15669
18	JALORE	248589	198629	25101
19	JHALAWAR	271981	240314	4469
20	JHUNJHUNU	153439	140272	13167
21	JODHPUR	422065	316650	63209
22	KARALI	237197	174050	39427
23	KOTA	151159	139014	12145
24	NAGOUR	458557	389714	22987
25	PALI	336561	278357	24548
26	PRATAPGARH	165097	127570	21017
27	RAJSAMAND	217334	189521	6080
28	SAWAI MADHOPUR	222390	177203	22948
29	SIKAR	263642	249261	14381
30	SIROHI	157014	135773	5540
31	SRI GANGANAGAR	295725	249456	16697
32	TONK	260383	203246	31099
33	UDAIPUR	470616	327192	96362
	Total	9501035	7864364	885581